

कार्यालय, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

क्रमांक शिविरा/प्रारं/शिप्र/4443/मुसयो/2019-20/

दिनांक : 11/12/19

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान /
निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डी.एल.एड.)
समस्त जिले, राजस्थान।

विषय:-विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजनान्तर्गत शुल्क पुर्नभरण के संबंध में।

प्रसंग:-राज्यसरकार का पत्र क्रमांक प.7(11)प्राशि/आयो/2017/जयपुर दिनांक 06.12.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजनान्तर्गत डी.एल.एड. पाठ्यक्रम सत्र (2019-20) में अध्ययनरत पात्र छात्राअध्यापिकाओं के शुल्क पुर्नभरण हेतु ऑफलाईन आवेदन भरवाये जाने है अतः निर्धारित आवेदन पत्र मय अतिरिक्त सूचना प्रपत्र (संलग्न) चेकलिस्टनुसार पूर्ण इन्द्राज कर दिनांक 28/01/2020 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि पात्र छात्राअध्यापिका के आवेदन में अंकित वर्ष का शुल्क पुर्नभरण पूर्व में नहीं हुआ है, ना ही किसी का दोहरा आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं किया जाए। विलम्ब की स्थिति में पात्र छात्राअध्यापिका को शुल्क पुर्नभरण नहीं होने पर संबधित संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगे।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजनान्तर्गत राशि का पुनर्भरण निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (डी.एल.एड.) की पात्र छात्राअध्यापिकाओं को संबधित जिले के प्राचार्य, डाइट द्वारा लाभ हस्तान्तरण की कार्यवाही गत वर्ष की भांति की जानी है। अतः पात्र छात्राअध्यापिका का निर्धारित आवेदन पत्र मय संलग्न प्रपत्र में इन्द्राज होने पर ही शुल्क पुर्नभरण की आगामी कार्यवाही शुरू की जावेगी अन्यथा आवेदन निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार एवं चेकलिस्ट

अतिरिक्त निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शिप्र/4443/मुसयो/2019-20/

दिनांक 11/12/19

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को देकर लेख है कि निर्धारित आवेदन पत्र मय अतिरिक्त सूचना प्रपत्र समस्त निजी प्रशिक्षण संस्थाओं(डी.एल.एड.) को जरिये ई-मेल भिजवायें।
3. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर का विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को देकर लेख है कि निर्धारित आवेदन पत्र मय अतिरिक्त सूचना प्रपत्र जिले में संचालित निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (डी.एल.एड.) को उपलब्ध कराते हुए निर्धारित आवेदन पत्र मय अतिरिक्त सूचना प्रपत्र निर्धारित दिनांक आवेदन चेकलिस्ट के अनुसार इस कार्यालय को भिजवाने हेतु पाबन्द करें तथा किसी भी पात्र छात्राअध्यापिका का दोहरा आवेदन अग्रेषित न हो, यह भी सुनिश्चित करें।
5. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की वेब साईट में अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना

आवेदन-पत्र (2012-13)

आवेदक का फोटो

1. आवेदक का नाम: _____
2. शिक्षक शिक्षण संस्था का नाम: _____
3. पाठ्यक्रम [बी.एस.टी.सी. (सामान्य / संस्कृत) / बी.एड. (सामान्य / संस्कृत)]: _____
4. पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष: _____
5. विधवा अथवा परित्यक्ता: _____

नोट:

विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि तथा यह शपथ-पत्र संलग्न करें कि पुनर्विवाह नहीं किया है (शपथ-पत्र नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा हो)।

परित्यक्ता होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रतिलिपि तथा यह शपथ-पत्र संलग्न करें कि पुनर्विवाह नहीं किया है (शपथ-पत्र नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा हो)। मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा परंतु तलाकनामे के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित तथा नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो तलाक को प्रमाणित करते हों।



सत्यापन

में, _____ (नाम) यह सत्यापित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनाएं सही हैं।


(हस्ताक्षर आवेदनकर्ता)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रामाणित किया जाता है कि आवेदक _____ (नाम) को इस संस्था में शैक्षिक वर्ष _____ में _____ (पाठ्यक्रम का नाम) में प्रवेश दिया गया है। आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण संस्था के रिकार्ड के आधार पर सही है। अतः आवेदक को विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संज्ञा योजना के अंतर्गत फीस पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

(हस्ताक्षर)

(नाम, पता तथा संस्था का पता)



विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री संवल योजना
आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली अतिरिक्त सूचना

17

1. आवेदनकर्ता का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पति का नाम :
4. मोबाईल न. :
5. निवास का पता :
 1. ग्राम का नाम
 2. ग्राम पंचायत
 3. पंचायत समिति का नाम
 4. विधानसभा क्षेत्र का नाम
6. आधार नमांकन संख्या :
(छाया प्रति संलग्न करें)
7. भागशाह कार्ड संख्या :
 1. ACKNOWLEDGEMENT ID
 2. FAMILY ID(छाया प्रति संलग्न करें)
8. बैंक खाते का विवरण :
 1. खाता संख्या
 2. बैंक का नाम
 3. बैंक शाखा का नाम
 4. IFSC कोड
 5. MICR कोड(पासबुक की छाया प्रति संलग्न करें)
9. बैंक खाते को आधार से लिंक कर लिया गया है ? :
(यदि किया जाना अनिवार्य है)

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

संस्था प्रधान का प्रमणनीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्थान में डी.एल
एड. सत्र 2018-19 में प्रथमवर्ष / द्वितीयवर्ष की नियामित प्रशिक्षणाथी है तथा विधवा /
परित्यक्ता मुख्यमंत्री संवल योजना के तहत शुल्क पुनर्भरण हेतु आवेदन अग्रेषित किया जा
रहा है ।

हस्ताक्षर मोहर सहित ।

विधवा / परित्यक्ता मर्यामन्नी संबन्ध योजना

विधवा / परित्यक्ता मुख्यमन्त्री संबन्ध योजना के अंतर्गत वीएसटीसी में अध्ययनरत छात्राओं के निम्नलिखित जमा-पत्रों के आवेदन के संबंध में बैंक लिस्ट:-

1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो
2. आवेदन संस्था प्रधान द्वारा अंग्रेषित हो
3. आवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि छात्रा का प्रवेश किस वर्ष में हुआ है एवं वर्तमान में वे किस स्तर में अध्ययनरत हैं।
4. शुल्क पुनर्गण राशि का वर्ष
5. आधार कार्ड की प्रति
6. नामांशक कार्ड की प्रति
7. प्रार्थी के बैंक पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम, आईएफएस कोड सुपाठ्य हो।
8. विधवा / परित्यक्ता की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति संलग्न करे, छाया प्रति मान्य नहीं होगी।
9. परित्यक्ता होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री संलग्न करें।
10. विधवा / परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र संलग्न करें, शपथ पत्र में पति का नाम का भी उल्लेख है। (शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित हो) शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करे कि जिस वर्ष हेतु शुल्क पुनर्गण का आवेदन किया जा रहा है उसका पुनर्गण पूर्ण में नहीं हुआ है।
11. परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के अलावा अधिकृत कानूनी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु तलाकनामों के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित तथा नोटेरी द्वारा तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने होने जो तलाक को प्रमाणित करते हो।
12. आवेदन के साथ कालेज आवंटन की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
13. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं की प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
14. संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि छात्रा को पूर्व में जिस वर्ष हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका शुल्क पुनर्गण नहीं हुआ है।
15. कालेज द्वारा लिये गये शुल्क की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
16. नामांशक पोर्टल के माध्यम से लाभ हस्तांतरण हेतु संलग्न प्रपत्र में सूचना अंकित करें।